

**कार्यालय: प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून**

आदेश संख्या: सेवायें-3(4)/ २०१ / 2015-16 दिनांक 19 जुलाई 2015

**विज्ञप्ति/पदोन्नति**

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985, उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना सं: 170/XXX(2)/2011 दिनांक 01 जून 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 एवं उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं: 599(1)/XXIV-2, 2012-6(3)/2012 दिनांक 09 अक्टूबर 2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित प्रधान सहायकों (वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन-4200) व वरिष्ठतानुसार प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान (9300-34800 ग्रेड वेतन 4600) के पद पर उनके नाम सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/संस्थान में पदोन्नत करते हुए पदस्थापित किया जाता है। यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है, जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

क्र. सं.	प्रधान सहायक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय/विद्यालय	नवीन तैनाती/पदोन्नति स्थल	अन्य विवरण
1	श्री भगवती प्रसाद बडोला	निदेशालय अकादमिक, शोध एवं प्रशि0 उत्तराखण्ड	रा.इ.का. छरबा, देहरादून	रिक्त पद के प्रति
2	श्री मंगल सिंह रौथाण	का.अ.नि.मा.शि. गढ़वाल मण्डल पौड़ी	रा.क.इ.का. घमण्डपुर, पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
3	श्री रघुवीर सिंह नेगी	का.मु.शि.अ. चमोली	रा.इ.का. मुन्दोली, चमोली	रिक्त पद के प्रति
4	श्री जगप्रीत सिंह	का.उ.शि.अ. सहसपुर, देहरादून	रा.इ.का. क्वासी, देहरादून	रिक्त पद के प्रति
5	श्री गोबिन्द सिंह अधिकारी	रा.इ.का. लालढांग, हरिद्वार	का.उ.शि.अ. नारसन, हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
6	श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी	रा.इ.का. कैलाशबांगर, रुद्रप्रयाग	का.ख.शि.अ. उखीमठ, रुद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
7	श्री अमरदीप सिंह	रा.इ.का. दिनेशपुर, उधमसिंह नगर	का.जि.शि.अ.प्रा.शि. उधमसिंह नगर	रिक्त पद के प्रति
8	श्री यशवन्त सिंह पंवार	का.उ.शि.अ.डोईवाला, देहरादून	डायट रुडकी, हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
9	श्री हरीश चन्द्र रमोला	का.जि.शि.अ.मा.शि. उत्तरकाशी	का.ख.शि.अ. पुरोला, उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति

1- इस सम्बन्ध में कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन हो तो यह पदोन्नतियां मा0 न्यायालय के अग्नित् निर्णय के अधीन रहेंगी।



2- पदोन्नति पर न जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति पर अगले 03 वर्ष तक कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3- जो कार्मिक अपने पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे वे लिखित रूप से सम्बन्धित कार्यालय/संस्थाध्यक्ष को अवगत करायेंगे एवं सम्बन्धित अधिकारी तदनुसार उनकी सेवा पुस्तिका में अंकना करना सुनिश्चित करेंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)

अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या: सेवायें-3(4)/ 8305-90 /2015-16 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 2- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 3- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
- 6- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
- 7- अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- 8- सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
- 9- अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 11- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0/मा0शि0) उत्तराखण्ड।
- 11- समस्त प्राचार्य डायट उत्तराखण्ड।

12- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत प्रधान सहायक के कार्यभार मुक्त/ ग्रहण आदेश लौटती डाक से तत्काल निदेशालय एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पदोन्नति की आदेश की अंकना सम्बन्धित कर्मियों के सेवा पुस्तिका में अवश्य की जाय।

13- सम्बन्धित प्रधान सहायक को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने नवीन पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कर्मियों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा आगामी 03 वर्ष तक सम्बन्धित की पुनः पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का संशोधन/समयबृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी न ही किसी प्रकार के प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

13- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(आर0एस0 रावती)

उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड